राजस्व आवेदन संख्या 445/2025
बालूदास बनाम सोहनलाल वगैरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 445/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/687

प्रार्थी बनाम विप्रार्थी

बालूदास पुत्र गिरधारीदास
जाति साद निवासी पचपदरा
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

बनाम

1.सोहनलाल पुत्र बींजाराम
जाति खारोल (खारवाल)
निवासी पचपदरा तहसील पचपदरा
2.ओमप्रकाश पुत्र जयनारायण
3.चन्द्रप्रकाश पुत्र जयनारायण
4.जगमोहन पुत्र जयनारायण
5.नन्दकिशोर पुत्र जयनारायण
6.बृजमोहन पुत्र जयनारायण
7.श्यामसुंदर पुत्र जयनारायण
8.सुरेशकुमार पुत्र जयनारायण
जाति महाजन (महेश्वरी)
निवासी पचपदरा,तहसील पचपदरा
9.अशोक पुत्र दुर्गदान जाति चारण
निवासी भाखानी तहसील फतेहगढ
व जिला जैसलमेर
10.घीसुराम पुत्र अमीचंद
जाति घांची निवासी पचपदरा
तहसील पचपदरा
11.भंवरदान पुत्र उमरदान
जाति चारण निवासी घड़ोई
चारणान तहसील कल्याणपुर
12.शांतिदेवी पत्नि भंवरलाल
जाति जाट निवासी पचपदरा
13.राजस्थान सरकार जरिए
तहसीलदार पचपदरा,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन संख्या 445/2025

बालूदास बनाम सोहनलाल वगैरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

(वास्ते-विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति-

1. श्री बाबुलाल सांखला अधिवक्ता प्रार्थी
2. विप्रार्थीगण एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 27/04/2026

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम चिरडाणी, पटवार हल्का पचपदरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 584/76 रकबा 2.9719 हैक्टेयर किस्म बा. अव्वल, खसरा संख्या 585/76 रकबा 0.0632 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा संख्या 586/278 रकबा 0.9105 हैक्टेयर किस्म बा. अव्वल, खसरा संख्या 587/278 रकबा 0.0253 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा संख्या 588/78 रकबा 0.9232 हैक्टेयर किस्म बा.अव्वल, खसरा संख्या 589/78 रकबा 0.0885 हैक्टेयर किस्म गै.मु.रास्ता कुल खसरे 06 कुल क्षेत्रफल 4.9826 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा ग्राम चिरडाणी, पटवार हल्का पचपदरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 584/76 रकबा 2.9719 हैक्टेयर किस्म बा. अव्वल, खसरा संख्या 585/76 रकबा 0.0632 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा संख्या 586/278 रकबा 0.9105 हैक्टेयर किस्म बा. अव्वल, खसरा संख्या 587/278 रकबा 0.0253 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा संख्या 588/78 रकबा 0.9232 हैक्टेयर किस्म बा. अव्वल, खसरा संख्या 589/78 रकबा 0.0885 हैक्टेयर किस्म गै.मु.रास्ता कुल खसरे 06 कुल क्षेत्रफल 4.9826 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पे''ा किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम **चिरडाणी, पटवार हल्का पचपदरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 584/76 रकबा 2.9719 हैक्टेयर किस्म बा. अव्वल, खसरा संख्या 585/76 रकबा 0.0632 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा**

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

संख्या 586/278 रकबा 0.9105 हैक्टेयर किस्म बा. अव्वल, खसरा संख्या 587/278 रकबा 0.0253 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा संख्या 588/78 रकबा 0.9232 हैक्टेयर किस्म बा.अव्वल, खसरा संख्या 589/78 रकबा 0.0885 हैक्टेयर किस्म गै.मु.रास्ता कुल खसरे 06 कुल क्षेत्रफल 4.9826 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम **चिरडाणी, पटवार हल्का पचपदरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 584/76 रकबा 2.9719 हैक्टेयर किस्म बा. अव्वल, खसरा संख्या 585/76 रकबा 0. 0632 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा संख्या 586/278 रकबा 0.9105 हैक्टेयर किस्म बा. अव्वल, खसरा संख्या 587/278 रकबा 0.0253 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा संख्या 588/78 रकबा 0.9232 हैक्टेयर किस्म बा.अव्वल, खसरा संख्या 589/78 रकबा 0.0885 हैक्टेयर किस्म गै.मु.रास्ता कुल खसरे 06 कुल क्षेत्रफल 4.9826 हैक्टेयर** भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात एवं मौका फर्द का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम **चिरडाणी, पटवार हल्का पचपदरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 584/76 रकबा 2.9719 हैक्टेयर किस्म बा. अव्वल, खसरा संख्या 585/76 रकबा 0.0632 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा संख्या 586/278 रकबा 0.9105 हैक्टेयर किस्म बा. अव्वल, खसरा संख्या 587/278 रकबा 0.0253 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा संख्या 588/78 रकबा 0.9232 हैक्टेयर किस्म बा.अव्वल, खसरा संख्या 589/78 रकबा 0.0885 हैक्टेयर किस्म गै.मु.रास्ता कुल खसरे 06 कुल क्षेत्रफल 4.9826 हैक्टेयर** भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :-

धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन संख्या 445/2025
बालूदास बनाम सोहनलाल वगैरा

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठनें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 02.7.2025 की प्रमाणित प्रति अवलोकन करने पर पाया कि सीमाज्ञान कार्यवाही खसरा संख्या 588/78, 586/278 की करवाए गए है,जबकि हस्तगत प्रकरण में कुल छह खसरान की नेखमबंदी करवाने हेतु अनुतोष चाहा गया है,जो कि शेष खसरान की सीमाज्ञान रिपोर्ट अभाव के कारण यह तय नही किया जा सकता है कि उक्त खसरान की सीमाओं को लेकर विवाद है अथवा नहीं। ऐसी स्थिति में RLR ACT. की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना-पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

-ःआदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम **चिरडाणी, पटवार हल्का पचपदरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 584/76 रकबा 2.9719 हैक्टेयर किस्म बा. अव्वल, खसरा संख्या 585/76 रकबा 0.0632 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा संख्या 586/278 रकबा 0.9105 हैक्टेयर किस्म बा. अव्वल, खसरा संख्या 587/278 रकबा 0.0253 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा संख्या 588/78 रकबा 0.9232 हैक्टेयर किस्म बा.अव्वल, खसरा संख्या 589/78 रकबा 0.0885 हैक्टेयर किस्म गै.मु.रास्ता कुल खसरे 06 कुल क्षेत्रफल 4.9826 हैक्टेयर** भूमि की पैमाईश करते हुए विधिनुसार कार्यवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है।

27/04/2026

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 27.04.2026 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

27/04/2026

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा